## अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES [भर्ती प्रकोष्ठ/ RECRUITMENT CEL]

फ.सं./No.F. 2-9/2025- स्था.(भर्ती प्रकोष्ठ)/Estt. (RCT)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029 Ansari Nagar, New Delhi-110029 दिनांक/Dated **3** 0 DEC 2025

## कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

विषयः- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में सीनियर आहार विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति। Subject:-Promotion to the post of Senior Dietician at the AIIMS, New Delhi.

दिनांक 29.11.2025 को **सीनियर आहार विशेषज्ञ** के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की मीटिंग की सिफारिश के परिणामस्वरुप एवं सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरांत निम्नलिखित **आहार विशेषज्ञ** को पदभार ग्रहण करने की तिथि से **सीनियर आहार विशेषज्ञ** वेतन पे. मैट्रिक्स के **लेवल -10** पर पदोन्नत किया जाता है।

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee for the post of **Senior Dietician** held on 29.11.2025 and its acceptance by the Competent Authority, the following **Dietician** is promoted to the post of **Senior Dietician in Level-10 of the pay matrix** from the date she assumes the charge of the post of **Senior Dietician**:

Sr. No.	Name of Employee	Category	Considered against the category	Department
01	Ms. R. Vasuki	SC	UR	Dr. RPC

इनकी विरष्ठता **सीनियर आहार विशेषज** के पद पर विभागीय पदोन्नित समिति की मीटिंग की तिथि अर्थात 29.11.2025 से प्रभावी होगी।

Her seniority in the post of **Senior Dietician will** be effective from the date of meeting of Departmental Promotion Committee i.e. **29.11.2025**.

वे दिल्ली/नई दिल्ली/एन.सी.आई. झज्जर,बाढसा झज्जर/एन.डी.डी.टी.सी गाजियाबाद और वर्तमान में बल्लबगढ़ में स्थित रूरल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भत्तों के हकदार होंगे।

She will be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of her status stationed at Delhi/New Delhi/in the Rural Centre presently located at Ballabhgarh (Haryana)/NDDTC, Ghaziabad/NCI, Jhajjar and Badsa Jhajjar and at any other Centre opened by the Institute in future.

उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे इस पत्र के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ. आर. 22(1) के अंतर्गत पदग्रहण करने की तिथि अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने की तिथि से तय करने का विकल्प चुनें बर्शते उन्हें आंशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना/संशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नति प्रदान नहीं किया गया।

She is advised to exercise her option for fixation of her pay under FR-22 (1), if applicable, either from the date of her promotion to the post or from the date of drawl of her next increment in the present post within one month from the date of issue of this Office Order, provided she has not been granted financial up gradation under ACP/MACP Scheme

Cont. on -2-

उनकी सेवाएं वर्तमान में बल्लभगढ़ (हरियाणा) में स्थित ग्रामीण परियोजना, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केन्द्र (गाजियाबाद), एन.सी.आई, बाढसा, झज्जर तथा संस्थान द्वारा भविष्य में खोले जाने वाले किसी अन्य केंद्र में स्थानांतरणीय हैं। उन्हें शिफ्ट में सेवा देने के लिए भी कहा जा सकता हैं।

Her services is transferable to the other centre facilities presently located at Ballabhgarh (Haryana), National drugs Dependency Treatment Centre (Ghaziabad), National Cancer Institute, Badsa, Jhajjar and at any other centre/facilities which may come up in future. He can be asked to perform duties in shifts also.

वह दो वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षा पर रहेंगी। परिवीक्षा अवधि के दौरान, उनसे संतोषजनक सेवाएं प्रदान करना अपेक्षित है जिसमें असफल रहने पर उनकी सेवाए किसी भी समय बिना नोटिस, दिए अथवाबिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएंगी।

She will be on probation for a period of two years. During the period of probation, she will be required to put in satisfactory services failing which her services can be terminated at any time without any notice or reason being assigned for the same

यह कार्यालय आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित SLP संख्या 30621/2011 और अन्य जुड़े मामलो के परिणाम या इस सम्बन्ध में DOPT से जारी किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के अधीन है।

This Office order would be subject to outcome of the SLP No. 30621/2011 and other connecting matter pending before the Hon'ble Supreme Court or any other clarification issued from the DoPT in this regard.

इनकी सेवा की अन्य शर्ते जोकि संस्थान में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू है, पूर्वानुसार ही रहेंगी।

Other terms and condition of her service will be the same as are applicable to other employees of the Institute

(विश्वेश चतुवेदी / VISHWESH CHATURVEDI) ब्रह्मासनिक अधिकारी / ADMINISTRATIVE OFFICER

Ms. R. Vasuki, Dietician, Dr. RPC

द्वारा/Thr .:- सीनीयर प्रशासनिक अधिकारी- डॉ. आर. पी. सी.

Sr. Administrative Officer-Dr. RPC प्रतिलिपिः

1 चीफ, डॉ. आर. पी. सी. The chief, Dr. RPC

- 2. चिकित्सा अधीक्षक- (अस्पताल) / डॉ. आर. पी. सी. Medical Superintendent, Hospital/Dr. RPC
- 3. प्रभारी अधिकारी, आहार विभाग- अस्पताल/ डॉ. आर. पी. सी. The Officer In-charge Deptt. of Dietetic, Hospital/ Dr. RPC
- 4 प्रशासनिक अधिकारी- अस्प./ डॉ. आर. पी. सी. -Administrative Officer- Hospital/ Dr. RPC
- 5 स्थापना अनुभाग अस्प./डॉ. आर. पी. सी. Establishment Section Hospital/ Dr. RPC

6 लेखा विभाग/ Accounts Section, II/III / Dr. RPC

ए.सी.आर सेल/ एस.सी./एस.टी विभाग / सतर्कता विभाग/ई.एच, एस.सेल/महिला सेल ACR Cell/ SC/ST Cell/Vigilance Cell/EHS.Cell./ Women Cell

8 प्रो. इन्चार्ज- कम्पयूटर विभाग- कृपया इसे संस्थान की वेबसाईट पर अपलॉड करें। Professor In Charge- Computer Facility- kindly upload the same on the Institute website